



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 26 अक्टूबर, 2009

कार्तिक 4, 1931 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय अनुभाग-7

संख्या 1011/सात-न्याय-7-2009-50/97

लखनऊ, 26 अक्टूबर, 2009

अधिसूचना

प० आ० - 707

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या-39 सन् 1987) की धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ड.) (छ) (ज) और (ड) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समिति (कर्मचारी) सेवा नियमावली, 2009

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समिति (कर्मचारी) सेवा नियमावली, 2009 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(3) यह अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण या समिति के समूह "ग" या "घ" के प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होगी।

2-उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समिति सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "ग" और "घ" के पद समाविष्ट हैं।

संक्षिप्त नाम
आरम्भ और लागू
होना

सेवा की प्राथमिकता

परिभाषा

3-(1) जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में, —

(क) "आमेलन" का तात्पर्य है कि प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्ति के पूर्व या पश्चात नियमावली के अधीन किसी कर्मचारी पर लागू नियमों के अधीन रहते हुए, जहाँ कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति के किसी पद पर स्थायी रूप से आमेलित कर दिया जाय;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 से है।

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों के संबंध में, कार्यपालक अध्यक्ष से है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों के संबंध में संबंधित जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष से है, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कर्मचारियों के संबंध में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष से है, और तालुक विधिक सेवा समिति के कर्मचारियों के संबंध में संबंधित तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष से है;

(घ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(ङ) "प्रतियोगिता परीक्षा" का तात्पर्य विभिन्न पदों के लिए समय-समय पर कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा यथा अवधारित टंकण, आशुलिपि आदि सहित विषयों में परीक्षा या ऐसे अन्य परीक्षाओं से है;

(च) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(छ) "प्रतिनियुक्ति" का तात्पर्य और उसके अन्तर्गत ऐसा कर्मचारी है जो राज्य सरकार से या उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से या किसी सरकारी उपक्रम से प्रतिनियुक्ति पर किसी पद पर तैनात हो;

(ज) "कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जो सेवा में किसी पद पर सेवारत हो;

(झ) "कार्यपालक अध्यक्ष" का तात्पर्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष से है;

(ञ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ट) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ठ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ड) "मुख्य प्रश्रयदाता" का तात्पर्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य प्रश्रयदाता से है;

(ढ) "पदोन्नति" का तात्पर्य किसी पद पर किसी कर्मचारी की पदोन्नति से है;

(ण) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समिति (कर्मचारी) सेवा नियमावली, 2009 से है;

(त) "चयन समिति" का तात्पर्य कर्मचारियों के चयन के प्रयोजनार्थ कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर गठित चयन समिति से है;

(थ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण और समिति सेवा से है;

(द) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसे नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(घ) "तालुक" का तात्पर्य राज्य में किसी जिले की राजस्व तहसील से है;

(न) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से है;

2-इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम या नियमावली में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम या नियमावली में समनुदेशित हैं;

भाग-दो- संवर्ग

4-(1) सेवा में निम्नलिखित संवर्ग सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

सेवा का संवर्ग

- (क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संवर्ग;
 (ख) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संवर्ग;
 (ग) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति संवर्ग, और
 (घ) तालुक विधिक सेवा समिति संवर्ग।

(2)-प्राधिकरण या समिति में प्रत्येक श्रेणी के पदों की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से समय-समय पर अवधारित की जाय।

(3)-(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(ख) राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे।

भाग-तीन-भर्ती

5-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जाएगी:-

भर्ती का श्रोत

- (1) भाग-पाँच में विहित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा।
 (2) भाग-पाँच में विहित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा।

6-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आरक्षण और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

आरक्षण

भाग - 4-अर्हताएं

7-सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

राष्ट्रीयता

(क) भारत का नागरिक हो;

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले ;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं -

8-सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक हैं :-

पद	अर्हता
निजी सचिव	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/बोर्ड से इण्टर-मीडिएट या समकक्ष और हिन्दी एवं अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति के साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपि में क्रमशः 100 एवं 80 शब्द प्रतिमिनट की गति।
प्राशासनिक अधिकारी	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/ बोर्ड से इण्टर-मीडिएट या समकक्ष और हिन्दी एवं अंग्रेजी में क्रमशः 25 एवं 40 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति।
ज्येष्ठ सहायक	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/ बोर्ड से इण्टर-मीडिएट या समकक्ष और हिन्दी एवं अंग्रेजी में क्रमशः 25 एवं 40 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति।
निजी सहायक	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से इण्टरमीडिएट या समकक्ष और हिन्दी एवं अंग्रेजी में क्रमशः 35 एवं 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति के साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपि में क्रमशः 100 एवं 80 शब्द प्रतिमिनट की गति।
ज्येष्ठ लिपिक	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/बोर्ड से इण्टर-मीडिएट या समकक्ष और हिन्दी एवं अंग्रेजी में क्रमशः 25 एवं 40 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति।
लेखा लिपिक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक और हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की जानकारी के साथ कनिष्ठ लिपिक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।
आशुलिपिक	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/बोर्ड से इण्टरमीडिएट या समकक्ष और हिन्दी में 35 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति सहित हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रतिमिनट की गति। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमानता प्रदान की जायेगी जिन्हें अंग्रेजी आशुलिपि, टंकण एवं कम्प्यूटर की जानकारी हो।

कनिष्ठलिपिक/पुस्तकालय
लिपिक/ टंकक

किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/ बोर्ड से इण्टरमीडिएट और हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट टंकण गति/ ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमानता प्रदान की जायेगी जिन्हें अंग्रेजी टंकण और कम्प्यूटर की जानकारी हो। पुस्तकालय लिपिक के पदों हेतु ऐसे अभ्यर्थियों को भी अधिमानता प्रदान की जायेगी जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान से डिप्लोमा किया हो।

वाहन चालक

किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से कक्षा आठ उत्तीर्ण और रिक्ति अधिसूचित होने के दिनांक से 03 वर्ष की अन्यून अवधि का यथाप्रयोज्य भारी या हल्के मोटर यान का विधि मान्य वाहन ब्रालन लाइसेन्स हो।

मशीन आपरेटर सह
दफ्तरी

किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से कक्षा-5 उत्तीर्ण हो और साइकिल चलाना आता हो।

अर्दली/चपरासी

किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से कक्षा-5 उत्तीर्ण हो और साइकिल चलाना आता हो।

स्वीपर सह फर्गरश

साक्षर

9-अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने-

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

10-सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा ऐसी अन्य श्रेणियों जिन्हें समय समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय के मामलों में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अघमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

13—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फन्डागमेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

भाग—पांच— भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14—नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार अवधारित करेगा और उसकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15—भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मामले में

- 1—नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् सदस्य सचिव,
- 2—सचिव और
- 3—दो ऐसे अधिकारी होंगे जो अपर जनपद न्यायाधीश की श्रेणी से अनिम्न हों जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जातियों का ऐसा व्यक्ति होगा और दूसरा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ख) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मामले में

- 1—नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् अध्यक्ष,
- 2—सचिव और
- 3—दो ऐसे अधिकारी होंगे जो सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ प्रभाग) की श्रेणी से अनिम्न हों जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जातियों का ऐसा व्यक्ति होगा और दूसरा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का ऐसा व्यक्ति होगा जिसे अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ग) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के मामले में :

- 1—नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् अध्यक्ष,
- 2—सचिव और
- 3—दो ऐसे अधिकारी होंगे, जो जनपद न्यायाधीश की श्रेणी से अनिम्न हों जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जातियों का ऐसा व्यक्ति होगा और दूसरा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का ऐसा व्यक्ति होगा जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(घ) तालुक विधिक सेवा समिति के मामले में :-

- 1—नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् अध्यक्ष,
- 2—सचिव
- 3—दो ऐसे अधिकारी होंगे, जो सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) की श्रेणी से अनिम्न हों जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जातियों का ऐसा व्यक्ति हो और दूसरा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का ऐसा व्यक्ति होगा जिसे अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।



(2) चयन समिति, आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी

टिप्पणी - प्रतियोगिता परीक्षा की प्रकिया ऐसी होगी जैसी प्राधिकरण/संबंधित समिति द्वारा अवधारित की जाय।

(3) अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात्, चयन समिति नियम 5 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुला सकती है जितनी संख्या में समिति द्वारा, इस सम्बन्ध में नियत मानक के अनुरूप, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आये हो। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की प्रवीणता कम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों से प्रकट हो, और जैसा कि साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। चयन समिति, पद पर उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता कम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पचीस प्रतिशत से अनाधिक) होगी।

16-(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम 15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता कम में रखे गये अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) नियम 15 में निर्दिष्ट चयन समिति, उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले में विचार करेगी और यदि उचित समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ले सकती है।

(4) चयन समिति ज्येष्ठता कम में रखे चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

टिप्पणी :- "चतुर्थ श्रेणी (समूह-घ) कर्मचारियों की पदोन्नति तृतीय श्रेणी (समूह-ग) के कर्मचारियों के निम्नतम वेतनमान में, पदोन्नति के समय लागू आदेशों के अनुसार, की जायेगी।"

17-यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां दोनों प्रकार से -सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा की जानी हो-तो सुसंगत सूची में से अभ्यर्थियों के नाम, इस प्रकार लेकर एक संयुक्त सूची तैयार की जायेगी कि विहित प्रतिशत का कोटा बना रहे और सूची में प्रथम नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का हो।

(एक) माना कि किसी सेवा में नियुक्ति दोनों प्रकार से-सीधी भर्ती (डी) द्वारा और पदोन्नति (पी) द्वारा 75:25 के अनुपात में की जानी है और किसी विशिष्ट वर्ष में 20 रिक्तियां हों। ऐसे मामले में 15 रिक्तियां सीधी भर्ती के लिए होंगी और 5 रिक्तियां पदोन्नति व्यक्तियों के लिए होंगी। चयनोपरान्त संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित चक्रानुक्रम में तैयार की जायेगी:

1-डी	6-डी	11-डी	16-डी
2-डी	7-डी	12-डी	17-पी
3-डी	8-डी	13-पी	18-डी
4-डी	9-पी	14-डी	19-डी
5-पी	10-डी	15-डी	20-डी

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

संयुक्त चयन सूची

उदाहरण

(दो) यदि उपर्युक्त मामले में, किसी वर्ष (एक्स) में, विहित कोटे के अनुसार 8 व्यक्तियों की भर्ती पदोन्नति द्वारा और 12 व्यक्तियों की भर्ती सीधे रूप से की जाय और नियम या जहाँ नियम न हों, वहाँ तत्समय प्रवृत्त सुसंगत आदेश किसी श्रोत की बिना भरी रिक्तियों को सीधी भर्ती के कोटे में कमी में से भरे जाने की अनुमति न प्रदान करें, तो 20 रिक्तियां में से 18 सीधी भर्ती के लिए और 2 पदोन्नत व्यक्तियों की भर्ती द्वारा आगामी वर्ष (वाई) में उनकी पूर्ति कर ली जाय। वर्ष (एक्स) और (वाई) में संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित चक्रानुक्रम में तैयार की जायेगी:

(एक्स) वर्ष		(वाई) वर्ष	
1-डी	10-डी	1-डी बिना भरी	11-डी
2-डी	11-डी	2-डी कोटा	12-पी वर्ष
			एक्स की अतिरिक्त
3-डी	12-डी	3-डी (एक्स) वर्ष	13-डी
4-डी	13-पी	4-पी वर्ष (एक्स)	14-डी
		की अतिरिक्त	
5-पी	14-डी	5-डी	15-डी
6-डी	15-डी	6-डी	16-पी
7-डी	16-डी	7-डी	17-डी
8-डी	17-पी	8-पी वर्ष	18-डी
		(एक्स) की अतिरिक्त	
9-पी		9-डी	19-डी
		10-डी	20-पी

(तीन) यदि उदाहरण (दो) में उल्लिखित मामले में, नियम या, जहां नियम न हों तत्समय प्रवृत्त सुसंगत आदेश में किसी श्रोत के बिना भरी रिक्तियों को विनिर्दिष्ट आकस्मिकता के अन्य श्रोतों से भरे जाने की व्यवस्था हो और सीधी भर्ती की 3 बिना भरी रिक्तियां इस प्रकार पदोन्नति द्वारा भरी जाये तो सुसंगत चयन सूची निम्न चक्रानुक्रम में होगी:

1-पी	7-डी	13-डी	19-पी
2-डी	8-डी	14-डी	20-पी
3-डी	9-पी	15-डी	
4-डी	10-डी	16-डी	
5-पी	11-डी	17-पी	
6-डी	12-डी	18-पी	

भाग छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18-(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा

(2) जहां किसी भर्ती के वर्ष में नियुक्तियां दोनों प्रकार से - सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा की जानी हों, वहां नियमित नियुक्ति तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि चयन दोनों श्रोतों से न कर लिया जाय और संयुक्त सूची नियम 17 के अनुसार तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिसमें से उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां दोनों प्रकार से सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा की जाये तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में व्यवस्थित किये जाएंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची से भी अस्थायी या स्थानापन्न रूप से नियुक्तियां करेगा। यदि इस सूची में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति में नियुक्त कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां इस नियमावली के अधीन एक वर्ष से अधिक की अवधि तक या अगले चयन के पश्चात तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, नहीं होगी।

19—(1) सेवा में किसी पद पर किसी स्थाई रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

परिवीक्षा

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

20—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

स्थायीकरण

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त हो।

21—(1) इसमें इसके पश्चात उपबंधित के सिवाय पद की किसी श्रेणी में व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेशों के दिनांक से अवधारित की जाएगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जैसी उस आदेश में क्रमानुसार व्यवस्थित हो; परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पिछला दिनांक विनिर्दिष्ट है जब से कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया गया है तो उक्त दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामले में उसका तात्पर्य आदेश जारी होने का दिनांक होगा परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो नियम-18 के उपनियम (3) के अधीन जारी नियुक्ति के संयुक्त आदेश के उल्लेखानुसार ज्येष्ठता प्रदान की जायेगी।

ज्येष्ठता

(2) किसी एक बचन के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जैसी बचन समिति द्वारा अवधारित की जाय:

परन्तु यह कि सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, यदि वह रिक्ति प्रदान किये जाने पर बिना विधि मान्य कारण के कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, अपनी ज्येष्ठता खो सकता है और कारण की विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जैसी वह उस संवर्ग में थी जिससे वे पदोन्नत किये गये थे।

(4) जहाँ नियुक्तियाँ दोनों प्रकार से पदोन्नति द्वारा और सीधी भर्ती द्वारा या एक से अधिक स्रोतों से की जाये और स्रोतों के अपने-अपने कोटे विहित किये जायें वहाँ पारस्परिक ज्येष्ठता नियम-17 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में चक्रानुक्रम के अनुसार नामों को इस प्रकार व्यवस्थित करके अवधारित की जायेगी कि विहित कोटा बना रहे : परन्तु

(एक) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियों, विहित कोटा से अधिक की जायें वहाँ कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए जिसमें कोटा के अनुसार रिक्तियाँ हों, ज्येष्ठता के निमित्त नीचे रख दिया जाएगा।

(दो) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियों विहित कोटा से कम की जायें और बिना भरी गयी रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्तियों अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जायें वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं प्राप्त करेंगे, किन्तु उस वर्ष की ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियों की जायें, तथापि इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली, उस वर्ष की सम्मिलित सूची में उनके नाम ऊपर रखे जायेंगे जिसके पश्चात् अन्य नियुक्त व्यक्तियों के चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से न भरी गयी रिक्तियाँ भरी जायें और कोटा से अधिक नियुक्तियों की जायें वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे, मानो वे अपने कोटा के सापेक्ष रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किये गये हों।

भाग—सात, वेतन—इत्यादि

वेतनमान

22—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक या स्थानापन्न या अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संवर्ग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संवर्ग, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति संवर्ग और तालुक विधिक सेवा समिति संवर्ग के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान वही है जो क्रमशः अनुसूची क, ख, ग एवं घ में दिये गये हैं।

परिरीक्षा अवधि में वेतन

23—(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिरीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जाएगी जब उसने परिरीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिरीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग—आठ—अन्य उपबन्ध

24—किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अन्यथा की ओर से अपनी अग्रथिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

पक्ष समर्थन

25—ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

अन्य विषयों का विनियमन

26—जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27—इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

व्यावृत्ति

आज्ञा से,
एस0एम0ए0 आब्दी,
प्रमुख सचिव।

अनुसूची - क
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

क्रम सं०	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान
1	निजी सचिव	1	रु० 6500-200-10500
2	वैयक्तिक सहायक	3	रु० 5500-175-9000
3	आशुलिपिक	2	रु० 4000-100-6000
4	प्रशासनिक अधिकारी	1	रु० 5500-175-9000
5	प्रवर वर्ग सहायक	3	रु० 4500-125-7000
6	लेखा लिपिक	1	रु० 4000-100-6000
7	वरिष्ठ लिपिक	1	रु० 4000-100-6000
8	टंकक	2	रु० 3050-75-3950-80-4590
9	कनिष्ठ लिपिक	3	रु० 3050-75-3950-80-4590
10	पुस्तकालय लिपिक	1	रु० 3050-75-3950-80-4590
11	अर्दली / चपरासी	10	रु० 2550-55-2660-60-3200
12	दफतरी सह मशीन आपरेटर	1	रु० 2610-60-3150-65-3540
13	वाहन चालक	3	रु० 3050-75-3950-80-4590
14	सेवक	1	रु० 45/- प्रतिदिन
15	स्वीपर कम फराश	1	रु० 500/- प्रतिमाह नियत वेतन

एस०एम०ए० आब्दी
प्रमुख सचिव।

अनुसूची - "ख"
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

क्रम सं०	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान
1	कनिष्ठ लिपिक	57	रु० 3050-75-3950-80-4590
2	अर्दली / चपरासी	57	रु० 2550-55-2660-60-3200

एस०एम०ए० आब्दी,
प्रमुख सचिव।

अनुसूची - ग
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

क्रम सं०	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान
1	कनिष्ठ लिपिक	2	रु० 3050-75-3950-80- 4590
2	अर्दली / चपरासी	2	रु० 2550-55-2660-60-3200

एस०एम०ए० आब्दी,
प्रमुख सचिव।

अनुसूची - घ
तालुका विधिक सेवा समिति

क्रम सं०	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान
1	कनिष्ठ लिपिक	शून्य	
2	अर्दली / चपरासी	शून्य	

एस०एम०ए० आब्दी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No1011/VII-Nyaya-7-2009-50/97 dated October 26, 2009.

NOTIFICATION

No. 1011/VII-Nyaya-7-2009-50/97

Dated, Lucknow, October 26, 2009

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (e), (g) (j) and (m) of sub-section (2) of section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act no. 39 of 1987) the Governor, in consultation with the Chief Justice, Allahabad High Court, is pleased to make the following rules:-

THE UTTAR PRADESH LEGAL SERVICES AUTHORITIES AND
COMMITTEES (EMPLOYEES) SERVICES RULES, 2009

PART-I GENERALShort title,
commencement
and applicability

1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Legal Services Authorities and Committees (Employees) Services Rules, 2009.

(2) They shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette.

(3) They shall be applicable to every group "C" and "D" employees of an Authority or a Committee constituted under the Act.

Status of Service

2. The Uttar Pradesh Legal Services Authority and Committees Service is a State service comprising group "C" and group "D" posts.

Definitions

3 (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) 'Absorption' means where an employee on deputation to a post is permanently absorbed, subject to the rules as applicable to an employee under Rules either before or after completion of period of deputation;

(b) 'Act' means the Legal Services Authorities Act, 1987;

(c) 'Appointing Authority' means in relation to employees of the Uttar Pradesh State Legal Services Authority, the Executive Chairman, in relation to the employees of a District Legal Services Authority, the Chairman of the concerned District Authority, in relation to the employees of the High Court Legal Services Committee, the Chairman, High Court Legal Services Committee and in relations to the employees of a Taluk Legal Services Committee, the Chairman of the concerned Taluk Legal Services Committee;

(d) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the constitution;

(e) 'Competitive examination' means examination in such subjects including typing, stenography etc. or such other test as may be determined by the Executive Chairman from time to time for different posts;

(f) 'Constitution' means the Constitution of India;

(g) 'Deputation' means and includes an employee posted on any post on deputation either from the State Government or from the High Court of Judicature at Allahabad or from any Government undertaking;

(h) 'Employee' means an employee who is serving to a post in the service;

(i) 'Executive Chairman' means Executive Chairman of the State Legal Services Authority;

(j) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(k) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(l) 'Other backward classes of citizen' means the backward classes of the citizens specified in schedule 5 to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time;

(m) 'Patron - in - Chief' means Patron-in-Chief of the state Legal Services Authority;

(n) 'Promotion' means the promotion of an employee to a post;

(o) 'Rules' means the Uttar Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1996;

(p) 'Schedule' mean a schedule appended to these rules;

(q) 'Selection Committee' means the Selection Committee, constituted from time to time by the Executive Chairman for the purpose of selection of employees;

(r) 'Service' means the Uttar Pradesh Legal Services Authorities and Committees Service;

(s) 'Substantive Appointment' means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules in accordance with the procedure prescribed, for the time being by executive instructions issued by the Government;

(t) 'Taluk' means a revenue Tahsil of a district in the State;

(u) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year;

(2) Words and expressions not defined in these rules but defined under the Act or the Rules shall have the same meaning assigned to them under the Act or the Rules.

PART - II - CADRE

4. (1) The Service shall comprise the following cadre, namely:- Cadre of Service

- (a) the State Legal Services Authority Cadre,
- (b) the District Legal Services Authority Cadre,
- (c) the High Court Legal Services Committee Cadre, and
- (d) the Taluk Legal Services Committee Cadre.

(2) The strength of the service of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time in consultation with the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad.

(3) (a) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may in consultation with the Chief Justice of Allahabad High Court hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation

(b) The Governor may in consultation with the Chief Justice of the Allahabad High Court create such additional permanent or temporary posts, as he may consider proper.

PART-III- RECRUITMENT

Source of
recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-

(1) By Promotion in accordance with the procedure laid down in Part V of these rules.

(2) By direct recruitment in accordance with the procedure laid down in Part V of these rules.

Reservation

6. "Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment."

PART - IV - QUALIFICATION

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:-

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government;

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh;

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

NOTE- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic
Qualification

8-A candidate for recruitment to the various posts in the service must possess the following qualifications:-

Post	Qualification
Private Secretary	Intermediate or equivalent from any recognized Educational Institution / Board, having speed of 100 and 80 w.p.m. in Hindi and English shorthand respectively along with typing speed of 35 w.p.m Hindi and English.
Administrative Officer	Intermediate or equivalent from any recognized Educational Institution / Board, having speed in Hindi and English typing 25 and 40 w.p.m. respectively.
Senior Assistant	Intermediate or equivalent from any recognized Educational Institution / Board, having speed in Hindi and English typing 25 and 40 w.p.m. respectively.
Personal Assistant	Intermediate or equivalent from any recognized Educational Institution / Board, having speed of 100 and 80 w.p.m. in Hindi and English shorthand respectively along with typing speed of Hindi and English 35 and 40 w.p.m. respectively.
Senior Clerk	Intermediate or equivalent from any recognized Educational Institution / Board, having speed in Hindi and English typing 25 and 40 w.p.m. respectively
Accounts Clerk	Graduate in Commerce from any recognized University, and having 5 years experience as junior clerk with knowledge of Hindi and English typing.
Stenographer	Intermediate or equivalent from any recognized Educational Institution / Board, having speed of 80 w.p.m. in Hindi shorthand along with typing speed of 35 w.p.m in Hindi. Preference will be given to those candidates who have knowledge of English Stenography, typing and computer.
Junior Clerk / Library Clerk / Typist	Intermediate or equivalent from any recognized Educational Institution / Board, having speed in Hindi typing 25 w.p.m. Preference will be given to those candidates who have knowledge of English typing and computer, preference will also be given for the post of library clerk to those candidates who have diploma in library science.

Driver	Class VIII Passed from any recognized Educational Institution, having valid driving license of heavy or light motor vehicle, as applicable of not less then a period of 3 years from the date of notifying the vacancy.
Machine Operator - cum - Daftri	Class -V Passed from any recognized educational institution, having knowledge of cycling.
Orderly/Peon	Class - V Passed from any recognized educational institution, having knowledge of cycling.
Sweeper cum - Farrash	Literate

**Preferential
Qualification**

9. A candidate who has :-

- (i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or,
(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps.

shall, other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of the year of recruitment.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing Authority shall satisfy itself on this point.

NOTE- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man, already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service.

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

**Physical
fitness**

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Para III:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART -V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

14. The appointing authority shall determine and notify to the employment Exchange in accordance with the rules and orders for the time being in force, the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rules 6.

Determination of vacancies.

15. For the purpose of recruitment, there shall be constituted a Selection Committee comprising:-

Procedure for direct recruitment

A. In the case of the State Legal Services Authority

(1) Appointing authority i.e. Member Secretary.

(2) Secretary.

(3) Two officers not below the rank of Addl. District Judge of which one

shall be a person belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes and the other shall be a person belonging to other backward class of citizen to be nominated by the Executive Chairman.

B. In the case of a District Legal Services Authority

(1) Appointing authority i.e. Chairman.

(2) Secretary.

(3) Two officers not below the rank of Civil Judge (Senior Division) of which one shall be a person belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes and the other shall be a person belonging to other backward class of citizen to be nominated by Chairman.

C. In the case of the High Court Legal Services Committee.

(1) Appointing authority i.e. Chairman.

(2) Secretary.

(3) Two officers not below the rank of Distt. Judge of which one shall be a person belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes and the other shall be a person belonging to other backward class of citizen to be nominated by the Chief Justice of High Court of Judicature at Allahabad.

D. In the case of a Taluk Legal Services Committee

(1) Appointing authority i.e. Chairman.

(2) Secretary i.e. Tahsildar.

(3) Two officers not below the rank of Civil Judge (Junior Division) of which one shall be a person belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes and the other shall be a person belonging to other backward class of citizen to be nominated by the Chairman, Distt. Legal Services Authority.

(2) The Selection Committee shall scrutinize the applications and require the eligible candidates to appear in a competitive examination and in interview.

Note:- The procedure for competitive examination shall be such as may be determined by the Authority / Committee concerned.

(3) After the marks obtained by the candidates in the written test have been tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 5, call for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Committee in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written test.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by aggregate of marks obtained by them in the written test and interview as disclosed by the marks obtained in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the candidates obtaining higher marks in the written test shall be placed higher. The Selection Committee shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the post. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25%) than the number of the vacancies.

Procedure for
recruitment by
promotion

16- (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority-cum-merit subject to the rejection of unfit through the Selection Committee constituted under rule 15.

(2) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidate arranged in order of seniority, and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them as may be considered proper.

(3) The Selection Committee referred to in rule 15 shall consider the case of candidates on the basis of the records, referred to in sub rule (2), if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

NOTE:

"Promotion of class IV (Group-D) employees to class III (Group-C) employees in the lowest scale would be in accordance with the Government orders applicable at the time of promotion".

Combined select
list

17. If in any year of recruitment appointment are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list is being of the person appointed by promotion.

Illustrations:-

(i) Suppose, in a service, appointment is made both by direct recruitment (D) and by promotion (P) in the ratio of 75:25 and in particular year, there are 20 vacancies. In such a case, 15 vacancies will go to the direct recruits and 5 vacancies to promotes. After the selections are made the Combined Select list shall be prepared in the following cyclic order:

1.	D	11.	D
2.	D	12.	D
3.	D	13.	P
4.	D	14.	D
5.	P	15.	D
6.	D	16.	D
7.	D	17.	P
8.	D	18.	D
9.	P	19.	D
10.	D	20.	D

Note: Nomination of officers belonging

(ii) If in the above case instead of recruitment, in any Year(X), being in accordance with the prescribed quota 8 persons are recruited by promotion and 12 directly and the rules or where there are no rules, the relevant orders in force for the time being do not permit the unfilled vacancies of any source being filled from the deficiency in the quota of direct recruits is made good in the next year (Y) by recruiting 18 direct recruits and 2 promotees out of 20 vacancies the combined select list in (X) and (Y) years shall be prepared in the following cyclic order:

(X) Year		(Y) Year	
1. D	10. D	1. D Unfilled	11. D
2. D	11. D	2. D quota of	12. P Excess of (X) year
3. D	12. D	3. D(X)year	13. D
4. D	13. P	4. P Excess of (X) year	14. D
5. P	14. D	5. D	15. D
6. D	15. D	6. D	16. P
7. D	16. D	7. D	17. D
8. D	17. P	8. P Excess of (X) year	18. D
9. P		9. D	19. D
		10. D	20. P

(iii) If, in the case mentioned in illustration (ii), the rules or, where there are no rules, the relevant orders in force for the time being provided for the unfilled vacancies of any source being filled from the other sources in specified contingency and the unfilled 3 vacancies of direct recruits are so filled by promotions the combined select list shall be in the following cyclic order:

1. P	7. D	13. D	19. P
2. D	8. D	14. D	20. P
3. D	9. P	15. D	
4. D	10. D	16. D	
5. P	11. D	17. P	
6. D	12. D	18. P	

PART- VI

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION & SENIORITY

18. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepare under rules 15,16 or 17 as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotions, regular appointment shall not be made unless selections are made from both the sources and combined list is prepared in accordance with rule 17.

Appointment

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order, referred to in rule 17.

(4) The appointing authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the list prepared under sub-rule (1). If no candidate borne on these lists is available, he may make appointments in such vacancy from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier.

Probation

19. (1) A person or appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at anytime during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

20. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if -

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory,

(b) his integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

21. (1) Except as hereinafter provided, the seniority of persons in any category of post shall be determined from the date of the orders of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, by such order in which their names are arranged in the appointment order:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it will mean the date of issue of the order:

Provided further that, if more than one order of appointment are issued in respect of any one, on selection the seniority shall be as mentioned in the combined order of appointment issued under sub rule(3) of rule 18.

(2) The seniority inter-se of persons appointed directly on the result of anyone selection, shall be the same as determined by Selection Committee;

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him and the decision of the appointing authority as to the validity of reasons shall be final.

(3) The Seniority inter-se of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more than one source and the respective quota of the sources is prescribed, the seniority inter-se shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with rule 17, in such manner that the prescribed percentage is maintained:

Provided that-

(i) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, for seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota.

(ii) Where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so, however, that in the combined list of that year, to be prepared under this rule, their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order, of the other appointees.

(iii) Where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies of their quota.

PART VII - PAY ETC.

22. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

Scales of pay

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules with respect to the State Legal Services Authority Cadre, District Legal Services Authority Cadre, the High Court Legal Services Committee Cadre and the Taluk Legal Services Committee Cadre are as given in Schedules. A,B,C&D respectively.

23. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

Pay during probation

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of persons, who has already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII- OTHER PROVISIONS

Convessing

24. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

25. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

26. Where the State Government is satisfied that the operation, of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving

27. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
S.M.A. ABIDI
Pramukh Sachiv

SCHEDULE-A
STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

S.NO.	NAME OF POSTS	NO.OF POST	PAY SCALE
1	Private Secretary	1	Rs. 6500-200-10500
2	Personal Assistant	3	Rs. 5500-175-9000
3	Stenographer	2	Rs. 4000-100-6000
4	Administrative Officer	1	Rs. 5500-175-9000
5	Upper Division Assistant	3	Rs. 4500-125-7000
6	Account Clerk	1	Rs. 4000-100-6000
7	Senior Clerk	1	Rs. 4000-100-6000
8	Typist	2	Rs. 3050-75-3950-80-4590
9	Junior Clerk	3	Rs. 3050-75-3950-80-4590
10	Library Clerk	1	Rs. 3050-75-3950-80-4590
11	Orderly/ Peon	10	Rs. 2550-55-2660-60-3200
12	Daftary cum Machine Operator	1	Rs. 2610-60-3150-65-3540
13	Driver	3	Rs. 3050-75-3950-80-4590
14	Sewak	1	Rs. 45/- Per Day
15s	Sweeper- cum- Farrash	1	Rs. 500/- per month fixed Pay

S.M.A. ABIDI
Pramukh Sachiv

SCHEDULE-B
DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY

S.No.	Name of Post	NO.OF POST	PAY SCALE
1	Junior Clerk	57	Rs.3050-75-3950-80-4590
2	Orderly/Peon	57	Rs.2550-55-2660-60-3200

S.M.A. ABIDI
Pramukh Sachiv

SCHEDULE-C
HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE

S.No.	Name of Post	NO.OF POST	PAY SCALE
1	Junior Clerk	02	Rs.3050-75-3950-80-4590
2	Orderly/Peon	02	Rs.2550-55-2660-60-3200

S.M.A. ABIDI
Pramukh Sachiv

SCHEDULE-D
TALUKA LEGAL SERVICES COMMITTEE

S.No.	Name of Post	NO.OF POST	PAY SCALE
1	Junior Clerk	NIL	
2	Orderly/Peon	NIL	

S.M.A. ABIDI
Pramukh Sachiv

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 691 राजपत्र (हि०)-2009-(1443)-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 सा० न्याय-2009-(1444)-2000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।